छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

शिकायत प्रकरण क्रमांक 298/2006

डॉ एस.के. शर्मा प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर (छत्तीसगढ़)	....	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय– प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर (छत्तीसगढ़)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(15 सितम्बर 2006)

श्री एस.के. शर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर के द्वारा दिनांक 10.07.06 को आयोग को शिकायत प्रस्तुत की कि उसके द्वारा दिनांक 24.03.06 को प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चार बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। प्राचार्य के द्वारा पत्र दिनांक 18.04.06 के द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में न होने की सूचना देते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया। दिनांक 21.04.06 को प्राचार्य ने उन्हें 50/– रूपए अतिरिक्त शुल्क चालान से जमा करने के लिए सूचित किया। दिनांक 10.05.06 को प्राचार्य के द्वारा 4,010/– रूपए की राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया गया। आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है एवं उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ ही 100/– रूपए जमा किए गए थे तथा यह स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में लिखा गया था कि जो भी वांछित शुल्क होगा, वह देने के लिए सहमत है किन्तु अनावेदक प्राचार्य के द्वारा जानकारी नहीं दी गई वरन् दिनांक 23.05.06 को जब आवेदक अवकाश पर था तब 46 कोरे पेज लिफाफे में रखकर वी.पी.पी. से भेजे गए, जिस पर कि आवेदक को 550/– रूपए का शुल्क देकर लिफाफा लेना पड़ा। लिफाफा खोले जाने पर उसमें कोरे कागज पाये गए जिसका पंचनामा आवेदक के द्वारा बनाये गये जो कि आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक ने निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त न होने के कारण अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया।

2. आयोग के द्वारा प्राचार्य, जन सूचना अधिकारी से कंडिकावार प्रतिवेदन मांगा गया। दिनांक 03.08.06 को आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये कि कोरे कागज भेजने के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। प्राचार्य के द्वारा

आयोग को सूचित किया गया कि डॉ शर्मा का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नही था। उन्होंने स्वीकार किया कि डॉ शर्मा ने दिनांक 24.03.06 को आवेदन दिया। उनका आवेदन दिनांक 21.07.06 की तिथि से मान्य किया गया क्योंकि पूर्व आवेदन निरस्त करने की उन्हें सूचना दे दी गई थी। उन्होंने अपने जवाब में श्री शर्मा के द्वारा लगाये गये आरोपों से यह स्वीकार किया तथा बतलाया कि 10 रूपए प्रति पेज के मान से आवेदक से 4010/– रूपए 401 पृष्ठों हेतु मांग की गई थी। उन्होंने कोरे कागज भेजने से भी इंकार किया।

3. आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। आवेदक का यह तर्क है कि उसे जानबुझकर निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। उसके निवास स्थान पर जानकारी के नाम पर कोरे कागज वी.पी.पी. के द्वारा भेजे गए जिससे कि आवेदक को वी.पी.पी. छुड़ाने में राशि व्यय हो। आयोग के निर्देश पर जानकारी दी गई किन्तु उसमें भी त्रुटियां हैं। अनावेदक ने यात्रा भत्ता बिल में यात्रा की गई ट्रेन का नाम तथा अवकाश पर रहते हुए भी यात्रा भत्ता लिये जाने संबंधी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी। प्राचार्य के द्वारा प्रति पेज 10/– रूपए जानकारी हेतु मांगे गये जो कि शासन के निर्देशों के विपरीत है। प्राचार्य के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि आयोग के निर्देश पर कोरे लिफाफे के संबंध में उन्होंने पूछताछ की किन्तु गहन पूछताछ के बावजूद दोषी कर्मचारी कौन है, यह प्रमाणित नहीं हो सका। प्राचार्य के द्वारा पूर्व में जन सूचना अधिकारी नियुक्त न किये जाने के संबंध में भी आयोग ने आपत्ति की थी। प्राचार्य के द्वारा बतलाया गया कि अब श्री पी.एस. ठाकरे, क्रीड़ा अधिकारी को सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

4. प्रकरण से यह स्पष्ट है कि प्राचार्य के द्वारा पूर्व में आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं देने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया था। अधिनियम एवं शासन के निर्देशानुसार आवेदन का कोई नियत प्रपत्र नहीं है। आवेदक वांछित जानकारी के लिए सामान्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दे सकता है। अतः प्राचार्य के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिये जाने के कारण जानकारी नहीं देना आपत्तिजनक है। आवेदन पत्र द्वारा वांछित जानकारी का शुल्क का निर्धारण भी नियमानुसार नहीं किया गया है। प्राचार्य का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि कोरे कागज जानकारी के रूप में भेजे जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समन्वित उत्तरदायित्व है। प्राचार्य को निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकार की गंभीर त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करें तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। आयोग के निर्देशों का पालन गंभीरता से किया जावे। आवेदक एवं प्राचार्य ने एक दूसरे के ऊपर अन्य आरोप भी लगाये हैं जिनका कि सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंध नहीं है।

5. आवेदक को आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क जानकारी प्राप्त हो चुकी है तथा आयोग के निर्देशानुसार प्राचार्य के द्वारा आवेदक को पूर्व में जानकारी हेतु जमा की गई राशि भी वापस की जा चुकी है। प्रकरण में ऐसे प्रमाण नहीं है जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि अनावेदक के द्वारा द्वेषवश जानकारी नहीं दी गई हो। अतः अनावेदक पर अर्थदण्ड नहीं दिया जाता है किन्तु उन्हें सचेत किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र पर निराकरण

नियमानुसार निर्धारित अवधि में किया जावे तथा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी समुचित रूप से मिल सके।

6. प्रकरण में आई तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को जानकारी समय पर न मिलने के फलस्वरूप आर्थिक व्यय हुआ है साथ ही उसे मानसिक पीड़ा भी हुई है। अतः प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर को आदेशित किया जाता है कि विभाग की ओर से आवेदक श्री एस.के. शर्मा को 500/- रूपए (रू. पांच सौ) की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावे।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त